

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-सा.-23022024-252322
SG-DL-W-23022024-252322प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2]	दिल्ली, फरवरी 9—फरवरी 15, 2024, बृहस्पतिवार/माघ 20—माघ 26, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 430
No. 2]	DELHI, FEBRUARY 9—FEBRUARY 15, 2024, THURSDAY/MAGHA 20—MAGHA 26, 1945	[N.C.T.D. No. 430

भाग —IV
PART —IVभाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

दिल्ली एवं चण्डीगढ़

आदेश

दिल्ली, 7 फरवरी, 2024

फा. सं. 1(148)/रा.चु.आ./प्रषा./2022/14839.—जबकि दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के चुनाव हेतु आम चुनाव-2022 दिनांक 04.12.2022 को हुए तथा परिणाम की घोषणा दिनांक 07.12.2022 के साथ प्रत्याशियों को निर्वाचित किया गया।

- और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 (इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है) के नियम 103 में कहा गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक प्रत्याशी स्वयं या अपने चुनाव एजेन्ट के माध्यम से चुनाव पर, उसके नामांकन की तिथि से तथा उसके परिणामों की घोषणा के बीच किए गए खर्च का अलग से तथा सही लेखा—जोखा रखेगा या अपने अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेन्ट से रखवाएगा।
- और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 104 में यह प्रावधान है कि;

104 लेखा-जोखा रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना:- (1) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वार्ड के चुनाव में, लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की दिनांक से दस दिनों के भीतर, अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा जो उसके द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गये खाते की सच्ची प्रति हो, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करानी होगी।

(2) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले वार्ड के उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय के बनाये और जमा किये गए सम्बंधित खाते की प्रमाणिकता के प्रतीक के रूप में एक हलफनामा फार्म 20 के रूप में भी दाखिल करेगा।

4. और जबकि निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या (2) में विनिर्दिष्ट चुनाव लड़ने वाले 32 प्रत्याशियों ने उनके नाम के सामने के कॉलम संख्या (3) में उल्लिखित नगर निगम वार्ड के चुनाव के बारे में अपना चुनाव खर्च का लेखा-जोखा उक्त नियम 104 के अन्तर्गत यथापेक्षित रूप में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या (5) में दिये गये विवरण के अनुसार जमा नहीं किया है।

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम व पता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वार्ड संख्या और नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि तथा नंबर	नियम 110 के तहत अयोग्यता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आँचल पत्नी ललित कुमार मकान न0 59, होलंबी खुर्द नई दिल्ली-110082	03 होलंबी कलां	10663 / 24.03.23 12072 / 27.06.23 13416 / 17.10.23	प्रत्याशी चुनाव खर्च का लेखा जोखा यथापेक्षित समय तथा पद्धति के अनुसार जमा करने में विफल रहा। वह दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 108(5)के तहत "कारण बताओ नोटिस" का जवाब देने में भी विफल रहा। इस प्रकार से उसके पास चुनाव खर्चों का लेखा जोखा न प्रस्तुत करने का कोई अच्छा कारण तथा औचित्य नहीं है।
2	मोनिका चौधरी पुत्री पूरन लाल चौधरी मकान न0 ए- 397 फेस -1 मेट्रो विहार होलंबी कलां नई दिल्ली-110082	03 होलंबी कलां	10660 / 24.03.23 12070 / 27.06.23 13415 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
3	राजीव पुत्र सुभाष मकान न0 49, भाई परमानन्द कॉलोनी- दिल्ली-110009	13 मुखर्जी नगर	10677 / 24.03.23 12074 / 27.06.23 13412 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
4	राजेश राय पुत्र मोहन राय मकान न0 एन-14 / 112, मुंशी राम कॉलोनी, दिल्ली-110009	13 मुखर्जी नगर	10678 / 24.03.23 12073 / 27.06.23 13413 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
5	चैचल चौधरी पुत्र ईश्वर पाल सिंह डी-1 / 102, ब्लॉक-डी-1, शर्मा कॉलोनी, बुद्ध विहार, फेस-2, नॉर्थ-वेस्ट, दिल्ली-110086	23 रिठाला	11079 / 18.04.23 12075 / 27.06.23 13418 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
6	मिनतुल्ला आलम पुत्र मज़हर आलम मकान-2797, जे.जे.कॉलोनी, ब्लॉक-ई बवाना, दिल्ली-110039	30 बवाना	10656 / 24.03.23 12076 / 27.06.23 13420 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार

7	प्रवेश पत्नी अमित मकान न० 314, पंचायत घर वाली गली, गाँव:-ओचंदी दिल्ली-110039	31 नांगल ठाकरान	10689 / 24.03.23 12077 / 27.06.23 13421 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
8	निर्मला वत्स माध्यम से स्व० श्री लक्ष्मीचन्द मकान न० डी-91, भाग्य विहार, रानी खेड़ा, दिल्ली-110081	33 रानी खेड़ा	10650 / 24.03.23 12078 / 27.06.23 13423 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
9	दर्शना देवी पत्नी महेन्द्र सिंह मकान न० बी-97 राजधानी पार्क, गाँव मुंडका, दिल्ली-110041	34 नांगलोई	10651 / 24.03.23 12079 / 27.06.23 13424 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
10	मंजिता माध्यम से प्रदीप मकान न० ए-2/34-35 नजदीक एस.बी.आई.सुल्तानपुरी, नई दिल्ली-110086	43 सुल्तानपुरी-ए	11205 / 27.04.23 12111 / 27.06.23 13764 / 10.11.23	उपरोक्तानुसार
11	शकुन्तला माध्यम से संदीप मकान न० बी- 256, ब्लॉक-बी, चंदन विहार, निहाल विहार, फेस-2, नांगलोई जट, दिल्ली-110041	45 ज्वालापुरी	10666 / 24.03.23 12080 / 27.06.23 13426 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
12	सोन प्रभा पत्नी राजेश कुमार मकान न० ई-77, ई-ब्लॉक, शिवरामपार्क, कमरुद्धीन नगर,नांगलोई, दिल्ली-110041	46 नांगलोई जट	10667 / 24.03.23 12081 / 27.06.23 13427 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
13	वीना शर्मा माध्यम से झम्मन लाल शर्मा मकान न० 1752 रानी बाग, दिल्ली-110034	61 कोहाट एन्क्लेव	10646 / 24.03.23 12083 / 27.06.23 13429 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
14	सीता देवी पत्नी चंद्रा मकान न० एन-28 एफ-50 एफ ब्लॉक, सीएसए कॉलोनी वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052	65 अशोक विहार	10641 / 24.03.23 12085 / 27.06.23 13431 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
15	राजवती देवी पत्नी प्यारे लाल मकान न० एफ-40, जेलर वाला बाग, अशोक विहार, फेस-2, दिल्ली-110052	65 अशोक विहार	10642 / 24.03.23 12084 / 27.06.23 13432 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
16	जेबा पत्नी मो० अकील मकान न० 1045 गली न० 11 सदर नाला रोड, होशियार सिंह मार्ग दिल्ली- 110006	81 कुरेश नगर	10682 / 24.03.23 12089 / 27.06.23 13434 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
17	सुशीला पत्नी राजेन्द्र कुमार मकान न० 1874 बस्ती जुलाहा सदर बाज़ार दिल्ली-110006	81 कुरेश नगर	11219 / 27.04.23 12114 / 27.06.23 13771 / 10.11.23	उपरोक्तानुसार
18	रेनू माध्यम से अशोक कुमार मकान न० टी-516/2, मंदिर मार्ग, बलजीत नगर, नई दिल्ली- 110008	86 ईस्ट पटेल नगर	10680 / 24.03.23 12090 / 27.06.23 13436 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
19	सुधीर गोयल पुत्र स्व श्री प्रेम चन्द गोयल मकान न० ए-95, भू-तल, क्लॉक टावर, हरि नगर, दिल्ली-110064	99 हरि नगर	10644 / 24.03.23 12091 / 27.06.23 13438 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार

20	कुसुम यादव पत्नी सुनील कुमार मकान न0 474-बी यादव मोहल्ला, कापसहेड़ा गाँव, नई दिल्ली-110037	132 कापसहेड़ा	10356 / 09.03.23 12093 / 27.06.23 13442 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
21	स्मृति मिश्रा पत्नी सौरभ भारद्वाज मकान न0 आरजैडएफ - 904/5 एवं 904/6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पालम कॉलोनी, राजनगर, पार्ट-2, साउथ-वेस्ट, दिल्ली-110077	134 राजनगर	10357 / 09.03.23 12094 / 27.06.23 13443 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
22	विजय मल्होत्रा पुत्र आर.सी. मल्होत्रा मकान न0 बी-52 लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024	146 अमर कॉलोनी	10699 / 24.03.23 12095 / 27.06.23 13445 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
23	बिमलेश पत्नी परवीन बसौया, मकान न0 196 अलीगंज, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली-110003	147 कोटला मुबारक पुर	10700 / 24.03.23 12096 / 27.06.23 13446 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
24	अशोक कुमार पुत्र गुलशनराम मकान न0 ए-147 संजय कॉलोनी, भाटी माईस, नई दिल्ली-110074	158 भाटी	10686 / 24.03.23 12100 / 27.06.23 13448 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
25	संजय पुत्र नच्छुराम मकान न0 ए-27, ए-ब्लॉक, संजय कॉलोनी, भाटी माईस, नई दिल्ली-110074	158 भाटी	10687 / 24.03.23 12101 / 27.06.23 13449 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
26	सविता बेगम पत्नी असलम मकान न0 डी-25, पारे वाली मस्जिद, अम्बेडकर कॉलोनी, छत्तरपुर, नई दिल्ली-110074	159 छत्तरपुर	10688 / 24.03.23 12102 / 27.06.23 13450 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
27	गुलाब सिंह पुत्र सौरन सिंह मकान न0 बी-57, गली न0 -19, जीतार नगर, कृष्णा नगर दिल्ली-110051	209 जगतपुरी	10693 / 24.03.23 12104 / 27.06.23 13452 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
28	पूजा छाबड़ा पत्नी मनोज कुमार छाबड़ा मकान न0 6/100, ब्लॉक -6, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031	210 गीता कॉलोनी	11235 / 27.04.23 12119 / 27.06.23 13777 / 10.11.23	उपरोक्तानुसार
29	अभिषेक पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार मकान न0 4/1558 -ए, महावीर ब्लॉक चूना भट्टी भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	215 शाहदरा	11237 / 27.04.23 12120 / 27.06.23 13779 / 10.11.23	उपरोक्तानुसार
30	मो0 अरशद पुत्र मो0 अशरफ मकान न0 ए-50/215, चौहान बांगर, दिल्ली-110053	226 गौतम पुरी	10691 / 24.03.23 13456 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार
31	शिव बाबू पाठक पुत्र नन कुमार पाठक बी-1643, गली न0 23, सोनिया विहार दिल्ली-110094	248 करावल नगर (वेस्ट)	11243 / 27.04.23 12122 / 27.06.23 13781 / 10.11.23	उपरोक्तानुसार
32	प्रीति पत्नी सचिन कुमार मकान न0 बी -2413, मेन रोड, नज़दीक भगतजी मंदिर, पहला पुश्ता, सोनिया विहार, दिल्ली-110094	249 सोनिया विहार	10695 / 24.03.23 12106 / 27.06.23 13458 / 17.10.23	उपरोक्तानुसार

5. और जबकि, उक्त प्रत्याशियों को नियम 108 (5) के तहत चुनाव खर्च का लेखा जोखा नियमावली में यथापेक्षित समय सीमा तथा पद्धति अनुसार जमा न किये जाने के लिए उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 04 में दर्शित तिथियों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे कि वे अपने अपेक्षित दस्तावेज तथा स्पष्टीकरण दें और ब्योरा न देने का यदि कोई

कारण हो तो, जैसा कि नियम 104 में कहा गया है, को बताने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में उनकी विफलता पर नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि चुनावी खर्चों का लेखा – जोखा जमा करने में असफलता उन्हें अयोग्य ठहराएगी तथा उन्हें इस तरह अयोग्यता की तारीख से छह साल की अवधि के लिए दिल्ली नगर निगम में पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर देगी।

6. अब, मैं, बंश राज राम, सचिव, राज्य निर्वाचन, आयोग दिल्ली इस मामले के समस्त पहलुओं पर विचार उपरांत संतुष्ट हूँ कि उपरोक्त उम्मीदवारों के पास अनिवार्य रूप से चुनाव खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है। एतद् द्वारा पूर्वोक्त नियमों के तहत आवश्यक, उपरोक्त उम्मीदवारों जिनके नाम पूर्वोक्त तालिका के कॉलम नंबर 2 में निर्दिष्ट है, को नियम 110 के प्रावधानों के तहत, इस आदेश की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करता हूँ।

यह आदेश दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 110 के तहत राजपत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

बंश राज राम, सचिव

**STATE ELECTION COMMISSION
NCT OF DELHI AND UT CHANDIGARH
ORDER**

Delhi, the 7th February, 2024

F. No. 1(148)/SEC/Admin/2022/14839.—WHEREAS General Election-2022 for the election of Councillors to the Municipal Corporation of Delhi was held on 04/12/2022 and the candidates were elected on declaration of result on 07/12/2022.

2. AND WHEREAS Rule 103 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter called the Rules) prescribes that every candidate at an election to a ward shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election, incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result;
3. AND WHEREAS Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that;

104. Lodging of accounts with the Returning Officer: - (1) Every contesting candidate at an election of a ward shall, within ten days from the date of election of the returned candidate, lodge with the Returning Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent.

(2) Every contesting candidate at an election to a ward shall also file an affidavit in Form-20 in token of authenticity of the account of election expenses as maintained & submitted by him.

4. AND WHEREAS, the following 32 contesting candidates, specified in column No. 2 of the table hereunder, for election to the Municipal Corporation of Delhi and wards mentioned in column No. 3 of the said table hereunder against their respective names failed to lodge the account of their election expenses, as required under Rule-104 ibid, as per reasons shown in column No. 5 of the said table against their respective names;

1	2	3	4	5
S.No.	Name & Address of Candidate (Sh/Smt./Km)	Number and Name of Ward	Dispatch No. & date of show cause notice	Ground of disqualification under Rule 110
1.	Anchal W/o Lalit Kumar R/o 59, Holambi Khurd, New Delhi- 110082	03 Holambi Kalan	10663 / 24.03.23 12072 / 27.06.23 13416 / 17.10.23	Candidate has failed to lodge Account of Election Expenses in the prescribed manner & time. He/She has also failed to respond to the show cause notices sent by the Commission under Rule 108 (5) of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012

				and therefore has no good reason and justification for the failure to file the election expenditure accounts as prescribed.
2.	Monika Chaudhary D/o Puran Lal Chaudhary R/o A 397 Phase 1 Metro Vihar Holambi Kalan, New Delhi-110082	03 Holambi Kalan	10660 / 24.03.23 12070 / 27.06.23 13415 / 17.10.23	-do-
3.	Rajeev S/o Subash R/o 49, Bhai Parmanand Colony, Delhi-110009	13 Mukherjee Nagar	10677 / 24.03.23 12074 / 27.06.23 13412 / 17.10.23	-do-
4.	Rajesh Rai S/o Mohan Rai R/o N-14/112, Munshi Ram Colony, Delhi-110009	13 Mukherjee Nagar	10678 / 24.03.23 12073 / 27.06.23 13413 / 17.10.23	-do-
5.	Chanchal Choudhary S/o Ishwar Pal Singh R/o D-1/102, Block D-1, Sharma Colony, Budh Vihar, Phase-2, North-West, Delhi-110086	23 Rithala	11079 / 18.04.23 12075 / 27.06.23 13418 / 17.10.23	-do-
6.	Mintullah Alam S/o Mazhar Alam R/o 2797, JJ Colony, Block-E, Bawana, Delhi-110039	30 Bawana	10656 / 24.03.23 12076 / 27.06.23 13420 / 17.10.23	-do-
7.	Pravesh W/o Amit R/o 314, Panchayat Ghar Wali Gali, Village:- Auchandi, Delhi-110039	31 Nangal Thakran	10689 / 24.03.23 12077 / 27.06.23 13421 / 17.10.23	-do-
8.	Nirmla Vats C/o Late Sh. Lakshmi Chand R/o D-91, Bhagya Vihar, Rani Khera, Delhi-110081	33 Rani Khera	10650 / 24.03.23 12078 / 27.06.23 13423 / 17.10.23	-do-
9.	Darshna Devi W/o Mahinder Singh R/o B-97, Rajdhani Park, Village Mundka, Delhi-110041	34 Nangloi	10651 / 24.03.23 12079 / 27.06.23 13424 / 17.10.23	-do-
10.	Manjeeta C/o Pradeep R/o H.No. A-2/34-35, Near SBI, Sultanpuri, New Delhi-110086	43 Sultanpuri-A	11205 / 27.04.23 12111 / 27.06.23 13764 / 10.11.23	-do-
11.	Shakuntala C/o Sandeep R/o B-256, Block-B, Chandan Vihar, Nihal Vihar, Phase-II, Nangloi Jat, Delhi-110041	45 Jawalapuri	10666 / 24.03.23 12080 / 27.06.23 13426 / 17.10.23	-do-
12.	Son Prabha W/o Rajesh Kumar R/o E-77, E-Block, Shiv Ram Park, Qamruddin Nagar, Nangloi, Delhi-110041	46 Nangloi Jat	10667 / 24.03.23 12081 / 27.06.23 13427 / 17.10.23	-do-
13.	Veena Sharma C/o Jhmmman Lal Sharma R/o H.No. 1752 Rani Bagh Delhi-110034	61 Kohat Enclave	10646 / 24.03.23 12083 / 27.06.23 13429 / 17.10.23	-do-
14.	Sita Devi W/o Chandra R/o N-28 F 50 F Block, CSA Colony		10641 / 24.03.23	

	Wazirpur, Industrial Area, Delhi-110052	65 Ashok Vihar	12085 / 27.06.23 13431 / 17.10.23	-do-
15.	Rajwati Devi W/o Pyare Lal R/o F-40, Jailer Wala Bagh, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052	65 Ashok Vihar	10642 / 24.03.23 12084 / 27.06.23 13432 / 17.10.23	-do-
16.	Zeba W/o Mohd. Aqil, R/o 1045, Gali No. 11, Sadar Nala Road, Hoshiar Singh Marg, Delhi-110006	81 Quraish Nagar	10682 / 24.03.23 12089 / 27.06.23 13434 / 17.10.23	-do-
17.	Sushila W/o Rajender Kumar R/o 1874, Basti Julhan, Sadar Bazar, Delhi 110006	81 Quraish Nagar	11219 / 27.04.23 12114 / 27.06.23 13771 / 10.11.23	-do-
18.	Renu C/o Ashok Kumar R/o T-516/2, Mandir Marg, Baljeet Nagar, New Delhi-110008	86 East Patel Nagar	10680 / 24.03.23 12090 / 27.06.23 13436 / 17.10.23	-do-
19.	Sudhir Goel S/o Late Prem Chand Goel R/o A-95, Ground Floor, Clock Tower, Hari Nagar, Delhi-110064	99 Hari Nagar	10644 / 24.03.23 12091 / 27.06.23 13438 / 17.10.23	-do-
20.	Kusum Yadav W/o Sunil Kumar R/o H.No. 474-B Yadav Mohalla, Kapashera Village, New Delhi-110037	132 Kapashera	10356 / 09.03.23 12093 / 27.06.23 13442 / 17.10.23	-do-
21.	Smriti Mishra W/o Sourabh Bhardwaj R/o RZF-904/5 & 904/6 Lal Bahadur Shastri Marg, Palam Colony, Rajnagar, Part-II, South-West, Delhi-110077	134 Raj Nagar	10357 / 09.03.23 12094 / 27.06.23 13443 / 17.10.23	-do-
22.	Vijay Malhotra S/o R.C. Malhotra R/o B-52, Lajpat Nagar-I, New Delhi-110024	146 Amar Colony	10699 / 24.03.23 12095 / 27.06.23 13445 / 17.10.23	-do-
23.	Bimlesh W/o Parveen Baisoya R/o 196, Aliganj, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003	147 Kotla Mubarakpur	10700 / 24.03.23 12096 / 27.06.23 13446 / 17.10.23	-do-
24.	Ashok Kumar S/o Gulshan Ram R/o A-147, Sanjay Colony, Bhati Mines, New Delhi-110074	158 Bhati	10686 / 24.03.23 12100 / 27.06.23 13448 / 17.10.23	-do-
25.	Sanjay S/o Nachu Ram R/o A-27, A-Block, Sanjay Colony, Bhati Mines, New Delhi-110074	158 Bhati	10687 / 24.03.23 12101 / 27.06.23 13449 / 17.10.23	-do-
26.	Savita Begum W/o Aslam R/o D-25, Parey Wali Masjid, Ambedkar Colony, Chattarpur, New Delhi-110074	159 Chhatarpur	10688 / 24.03.23 12102 / 27.06.23 13450 / 17.10.23	-do-
27.	Gulab Singh S/o Soran Singh R/o B-57, Gali No. 19, Jitar Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051	209 Jagat Puri	10693 / 24.03.23 12104 / 27.06.23 13452 / 17.10.23	-do-
28.	Pooja Chhabra W/o Manoj Kumar Chhabra H.No. 6/100,	210	11235 / 27.04.23	

	Block-6, Geeta Colony, Delhi-110031	Geeta Colony	12119 / 27.06.23 13777 / 10.11.23	-do-
29.	Abhishek S/o Surender Kumar R/o 4/1558-A, Mahavir Block, Chunna Bhatti, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi-110032	215 Shahdara	11237 / 27.04.23 12120 / 27.06.23 13779 / 10.11.23	-do-
30.	Mohd. Arshad S/o Mohd. Ashraf R/o A-50/215, Chauhan Bangar, Delhi-110053	226 Gautam Puri	10691 / 24.03.23 13456 / 17.10.23	-do-
31.	Shiv Babu Pathak S/o Nun Kumar Pathak R/o B-1643, Gali No. 23, Sonia Vihar, Delhi-110094	248 Karawal Nagar (West)	11243 / 27.04.23 12122 / 27.06.23 13781 / 10.11.23	-do-
32.	Preeti W/o Sachin Kumar R/o B-2413, Main Road, Near Bhagat Ji Mandir, First Pusta, Sonia Vihar, Delhi-110094	249 Sonia Vihar	10695 / 24.03.23 12106 / 27.06.23 13458 / 17.10.23	-do-

5. AND WHEREAS Show Cause Notices were issued to the above candidates under Rule 108(5) of the aforesaid rules, on the dates mentioned in Col.4 of the above table with the directions to submit their requisite documents and explanation with reason for not submitting account of election expenses as required under Rule 104 of the aforesaid Rules and that why action should not be taken against him / her as per provisions of Rule 110 of the said Rules for their failure to respond show cause notices. He/She was clearly informed that failure to lodge the Accounts of election expenses/explanation would disqualify him/her for being and to be chosen as a Councillor to Municipal Corporations of Delhi for a period of six years from the date of such disqualification.
6. NOW, THEREFORE, I, Bansh Raj Ram, Secretary, State Election Commission, NCT of Delhi having considered all the aspects of the matter and satisfied that there is no good reason or justification for the aforesaid candidates for failure to lodge account of election expenses within the time and in the manner required mandatorily under the aforesaid Rules, hereby disqualify the candidates as specified in column No. 2 of the aforesaid table for a period of six years from the date of this order, under the provisions of Rule 110 of the said Rules.

This order is also being published in the official Gazette as required under Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

BANSH RAJ RAM, Secy.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-30052024-254441
SG-DL-W-30052024-254441प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 04]	दिल्ली, मई 24—मई 30, 2024, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 3—ज्येष्ठ 9, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57
No. 04]	DELHI, MAY 24—MAY 30, 2024, THURSDAY/JYAISHTHA 3—JYAISHTHA 9, 1946	[N.C.T.D. No. 57

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराज्य चुनाव आयोग
(दिल्ली एवं चण्डीगढ़)
आदेश
दिल्ली, 27 मई, 2024

सं. एफ. 1(148)/रा.चु.आ./प्रशा./2022/16093 .—जबकि दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के चुनाव हेतु आम चुनाव-2022 दिनांक 04.12.2022 को हुए तथा परिणाम की घोषणा दिनांक 07.12.2022 के साथ प्रत्याशियों को निर्वाचित किया गया।

2. और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 (इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है) के नियम 103 में कहा गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक प्रत्याशी स्वयं या अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से चुनाव पर, उसके नामांकन की तिथि से तथा उसके परिणामों की घोषणा के बीच किए गए खर्च का अलग से तथा सही लेखा-जोखा रखेगा या अपने अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेंट से रखवाएगा।

3. और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 104 में यह प्रावधान है कि;

104 लेखा-जोखा रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना:—(1) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वार्ड के चुनाव में, लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की दिनांक से दस दिनों के भीतर, अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा जो उसके द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गये खाते की सच्ची प्रति हो, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करानी होगी।

(2) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले वार्ड के उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय के बनाये और जमा किये गए सम्बंधित खाते की प्रमाणिकता के प्रतीक के रूप में एक हलफनामा फार्म 20 के रूप में भी दाखिल करेगा।

4. और जबकि निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या (2) में विनिर्दिष्ट चुनाव लड़ने वाले 04 प्रत्याशियों ने उनके नाम के सामने के कॉलम संख्या (3) में उल्लिखित नगर निगम वार्ड के चुनाव के बारे में अपना चुनाव खर्च का लेखा-जोखा उक्त नियम 104 के अन्तर्गत यथापेक्षित रूप में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या (5) में दिये गये विवरण के अनुसार जमा नहीं किया है।

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम व पता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वार्ड संख्या और नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि तथा नंबर	नियम 110 के तहत अयोग्यता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शबनम पत्नी मो0 अब्दुल कलान, मकान न:- ए-2948 सी.सै. स्कूल, बारात घर ब्लॉक फेस-02, मैट्रो विहार, होलम्बी कंला, नई दिल्ली-110082	03 होलम्बी कंला	10662/24.03.23 12071/27.06.23	प्रत्याशी चुनाव खर्च का लेखा जोखा यथापेक्षित समय तथा पद्धति के अनुसार जमा करने में विफल रहा। वह दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 108(5) के तहत "कारण बताओ नोटिस" का जवाब देने में भी विफल रहा। इस प्रकार से उसके पास चुनाव खर्चों का लेखा जोखा न प्रस्तुत करने का कोई अच्छा कारण तथा औचित्य नहीं है।
2	दीक्षा पत्नी/पुत्री श्री राहुल मिश्रा म0न0 141, ब्लॉक एफ, इन्दर एन्कलेव, फेस-2, किराडी सुलेमान नगर, दिल्ली-110086	40 निठारी	11202/27.04.23 12110/27.06.23 13762/10.11.23	उपरोक्तानुसार
3	पूजा पत्नी/पुत्री श्री राकेश कुमार कोली, म0न0 एल-398ए, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली-110052	71 किशनगंज	11512/17.05.23 12113/27.06.23	उपरोक्तानुसार
4	चित्रा शालिनी पत्नी/पुत्री श्री डालचन्द मकान न:- 49/3, देवली गाँव, नई दिल्ली-110080	218 सुन्दर नगरी	10697/24.03.23 12105/27.06.23 13454/17.10.23	उपरोक्तानुसार

5. और जबकि, उक्त प्रत्याशियों को नियम 108 (5) के तहत चुनाव खर्च का लेखा जोखा नियमावली में यथापेक्षित समय सीमा तथा पद्धति अनुसार जमा न किये जाने के लिए उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 04 में दर्शित तिथियों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे कि वे अपने अपेक्षित दस्तावेज तथा स्पष्टीकरण दें और ब्यौरा न देने का यदि कोई कारण हो तो, जैसा कि नियम 104 में कहा गया है, को बताने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में उनकी विफलता पर नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि चुनावी खर्चों का लेखा - जोखा जमा करने में असफलता उन्हें अयोग्य ठहराएगी तथा उन्हें इस तरह अयोग्यता की तारीख से छह साल की अवधि के लिए दिल्ली नगर निगम में पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर देगी।

6. अब, मैं, बंश राज राम, सचिव, राज्य निर्वाचन, आयोग दिल्ली इस मामले के समस्त पहलुओं पर विचार उपरांत संतुष्ट हूँ कि उपरोक्त उम्मीदवारों के पास अनिवार्य रूप से चुनाव खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है। एतद् द्वारा पूर्वोक्त नियमों के तहत आवश्यक, उपरोक्त उम्मीदवारों जिनके नाम पूर्वोक्त

तालिका के कॉलम नंबर 2 में निर्दिष्ट है, को नियम 110 के प्रावधानों के तहत, इस आदेश की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करता हूँ।

यह आदेश दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 110 के तहत राजपत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

बंश राज राम, सचिव

STATE ELECTION COMMISSION
(NCT of Delhi & UT Chandigarh)

ORDER

Delhi, the 27th May, 2024

No. F. 1(148)/SEC/Admin/2022/16093.—WHEREAS General Election-2022 for the election of Councillors to the Municipal Corporation of Delhi was held on 04/12/2022 and the candidates were elected on declaration of result on 07/12/2022.

2. AND WHEREAS Rule 103 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter called the Rules) prescribes that every candidate at an election to a ward shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election, incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result;

3. AND WHEREAS Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that;

104. Lodging of accounts with the Returning Officer: - (1) Every contesting candidate at an election of a ward shall, within ten days from the date of election of the returned candidate, lodge with the Returning Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent.

(2) Every contesting candidate at an election to a ward shall also file an affidavit in Form-20 in token of authenticity of the account of election expenses as maintained & submitted by him.

4. AND WHEREAS, the following 04 contesting candidates, specified in column No. 2 of the table hereunder, for election to the Municipal Corporation of Delhi and wards mentioned in column No. 3 of the said table hereunder against their respective names failed to lodge the account of their election expenses, as required under Rule-104 ibid, as per details shown in column No. 5 of the said table against their respective names;

1	2	3	4	5
S.No.	Name & Address of Candidate (Sh/Smt./Km.)	Number and Name of Ward	Dispatch No. & date of show cause notice	Ground of disqualification under Rule 110
1.	Shabnam W/o Abdul Kalan R/o A 2948 Sr. Sec. School, Community Hall of Block Ph-02, Metro Vihar, Holambi Kalan, New Delhi-110082	03 Holambi Kalan	10662 / 24.03.23 12071 / 27.06.23	Candidate has failed to lodge Account of Election Expenses in the prescribed manner & time. He/She has also failed to respond to the show cause notices sent by the Commission under Rule 108 (5) of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and therefore has no good reason and justification for the failure to file the election expenditure accounts as prescribed.
2.	Diksha W/D/o Rahul Mishra R/o H.No. 141 Block-F Inder Enclave Phase-II, KirariSuleman Nagar, Delhi-110086	40 Nithari	11202 / 27.04.23 12110 / 27.06.23 13762 / 10.11.23	-do-

3.	Pooja W/D/o Rakesh Kr. Koli R/o L-398A, JJ Colony, Wazirpur, Ashok Vihar, Delhi-110052	71 Kishan Ganj	11512 / 17.05.23 12113 / 27.06.23	-do-
4.	ChitraShalini W/D/o Dal Chand R/o 49/3, Deoli Village, New Delhi-110080	218 Sundar Nagri	10697 / 24.03.23 12105 / 27.06.23 13454 / 17.10.23	-do-

5. AND WHEREAS Show Cause Notices were issued to the above candidates under Rule 108(5) of the aforesaid rules, on the dates mentioned in Col.4 of the above table with the directions to submit their requisite documents and explanation with reason for not submitting account of election expenses as required under Rule 104 of the aforesaid Rules and that why action should not be taken against him / her as per provisions of Rule 110 of the said Rules for their failure to respond show cause notices. He/She was clearly informed that failure to lodge the Accounts of election expenses/explanation would disqualify him/her for being and to be chosen as a Councillor to Municipal Corporations of Delhi for a period of six years from the date of such disqualification.

6. NOW, THEREFORE, I, Bansh Raj Ram, Secretary, State Election Commission, NCT of Delhi having considered all the aspects of the matter and satisfied that there is no good reason or justification for the aforesaid candidates for failure to lodge account of election expenses within the time and in the manner required mandatorily under the aforesaid Rules, hereby disqualify the candidates as specified in column No. 2 of the aforesaid table for a period of six years from the date of this order, under the provisions of Rule 110 of the said Rules.

This order is also being published in the official Gazette as required under Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

BANSH RAJ RAM, Secy.